

कार्यालय नगरपालिका पदमपुर, जिला श्रीगंगानगर

क्रमांक:- 173

दिनांक:- 12/1/2022

अग्नि सुरक्षा प्रमाण-पत्र

संत श्री प्राणनाथ परनामी पी.जी. कॉलेज 23 बी.बी. जैतसर रोड़ पदमपुर जिला श्रीगंगानगर में आने-जाने में कोई बाधा नहीं है, रास्ता सुरक्षित होकर मौके पर अग्नि शमन यंत्र भी लगे होकर सही पाये गये।

उपरोक्त अग्नि सुरक्षा व्यवस्था सही पाये जाने पर निम्न शर्तों पर पाबंद करते हुए यह प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।


महाविद्यालय में तैनात सुरक्षा गार्ड व अन्य कर्मचारियों को वर्ष में एक बार अग्नि सुरक्षा व्यवस्था का प्रशिक्षण दिलवाना अनिवार्य होगा।

महाविद्यालय में लगाये गये अग्नि शमन यंत्रों का समय-समय पर रख रखाव आवश्यकतानुसार करना होगा।

यदि राज्य सरकार या परिषद द्वारा कोई आदेश या नियम जारी किया जाता है तो प्रबंधक को जारी आदेश मान्य होगा तथा निर्धारित शुल्क नोटिस अनुसार जमा करवाना होगा। अन्यथा एन.ओ.सी. मान्य नहीं होगी।

अग्नि शमन विभाग द्वारा किसी भी समय महाविद्यालय के निरीक्षण के दौरान अग्नि शमन सुरक्षा व्यवस्था सही नहीं पाये जाने पर यह अनापत्ति प्रमाण निरस्त करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित होगा।

यह अनापत्ति प्रमाण पत्र अस्थायी रूप से एक वर्ष तक वैध होगा, जिससे नवीनीकरण कराने की जिम्मेदारी महाविद्यालय संचालन की होगी।


सहायक अग्नि शमन अधिकारी
नगरपालिका, पदमपुर
पदमपुर